



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-01102024-257623
CG-DL-E-01102024-257623

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 271]

नई दिल्ली, सोमवार, सितम्बर 30, 2024/अश्विन 8, 1946

No. 271]

NEW DELHI, MONDAY, SEPTEMBER 30, 2024/ ASVINA 8, 1946

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(व्यापार उपचार महानिदेशालय)

जांच शुरूआत अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 सितम्बर, 2024

मामला सं. एडी (ओआई) - 11/2024

विषय: चीन जन. गण. के मूल के अथवा वहां से निर्यातित "सिलोक्सेन पॉलीऑक्सी एल्कीलीन कोपोलिमर जिनकी श्यानता 2500 सीएसटी तक हो" के आयातों से संबंधित पाटनरोधी जांच की शुरूआत।

फा. सं. 6/13/2024-डीजीटीआर.- (1) मेसर्स मोमेंटिव परफॉरमेंस मैटेरियल (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड (जिसे आगे "आवेदक" भी कहा गया है) ने समय-समय पर यथा संशोधित सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम 1975 (जिसे आगे 'अधिनियम' भी कहा गया है) और उसकी समय-समय पर यथा संशोधित सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन और संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 (जिसे आगे नियमावली भी कहा गया है) के अनुसार घरेलू उद्योग की ओर से निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिन्हें आगे "प्राधिकारी" भी कहा गया है) के समक्ष एक आवेदन दायर किया

है जिसमें चीन जन. गण. (जिसे आगे संबद्ध देश भी कहा गया है) के मूल के अथवा वहां से निर्यातित “सिलोक्सेन पॉलीऑक्सी एल्कीलीन कोपोलिमर जिनकी श्यानता 2500 सीएसटी तक हो” (जिसे आगे संबद्ध वस्तु या विचाराधीन उत्पाद या पीयूसी भी कहा गया है) के कथित पाटन के संबंध में पाटनरोधी शुल्क जांच की शुरुआत करने का अनुरोध किया गया है।

क. विचाराधीन उत्पाद

2. वर्तमान जांच में विचाराधीन उत्पाद “सिलोक्सेन पॉलीऑक्सी एल्कीलीन कोपोलिमर जिनकी श्यानता 2500 सीएसटी तक हो”, है।
3. मोमेंटिव ने उच्च निष्पादन मानक, सार्वभौमिक और विशिष्ट सिलीकॉन की पूरी रेंज को डिजाइन किया है, ताकि लोचशील पॉलीयुरेथेन स्लैब स्टॉक और आरएमएस फोम का उत्पादन किया जा सके, जो फोम उत्पादकों को उपभोक्ताओं के लिए उपयुक्त समाधान के उत्पादन में मदद कर सके और फोम ग्रेडों की व्यापक किस्म उपलब्ध करा सके। सिलिकोन बैकबोन में हाइड्रोफोबिक / गैर पोलर सामग्रियों से संबंध होता है और पोलिएथरपेंडेंट्स को अधिक हाइड्रोफिलिक / पोलर सामग्रियों के लिए बनाया जाता है।
4. संबद्ध वस्तु का प्रयोग स्लैब, मोल्डेड, रिजिड फोम अनुप्रयोगों के लिए प्रयोग किया जाता है। इन्हें अंतिम प्रयोगों जैसे बेडिंग और फर्नीचर, इंसुलेशन सामग्री, ऑटोमोटिव और विशिष्ट फोम में भी प्रयोग किया जाता है।
5. विचाराधीन उत्पाद का मुद्रण के लिए प्रयोग किया जाता है। संबद्ध वस्तु अध्याय 3402 और 3910 के अंतर्गत वर्गीकृत है। सीमा शुल्क केवल सांकेतिक है और उत्पाद के दायरे को किसी भी तरह प्रभावित नहीं करता है।

ख. समान वस्तु

6. आवेदक ने बताया है कि आवेदक द्वारा उत्पादित और संबद्ध देश से निर्यातित उत्पाद में कोई खास अंतर नहीं है। आवेदक द्वारा उत्पादित वस्तु और चीन से आयातित वस्तु भौतिक और रासायनिक विशेषताओं, विनिर्माण प्रक्रिया और प्रौद्योगिकी, कार्य और प्रयोग, उत्पाद विनिर्देशन, कीमत निर्धारण, वितरण और विपणन तथा संबद्ध वस्तु के टैरिफ वर्गीकरण की दृष्टि से तुलनीय हैं। संबद्ध वस्तु और आवेदक द्वारा उत्पादित वस्तु तकनीकी और वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापनीय हैं। आवेदक ने दावा किया है कि पीयूसी के उपभोक्ता संबद्ध वस्तु और आवेदक द्वारा उत्पादित वस्तु का एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग कर रहे हैं। इस प्रकार वर्तमान जांच की शुरुआत के प्रयोजनार्थ आवेदक द्वारा उत्पादित उत्पाद को चीन जन. गण. से आयातित किए जा रहे उत्पाद के समान वस्तु माना जा है।

ग. घरेलू उद्योग और उसकी स्थिति

7. यह आवेदन मेसर्स मोमेंटिव परफॉर्मेंस मैटेरियल (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड द्वारा दायर किया गया है। संबद्ध वस्तु का एक मात्र उत्पादक है। इस प्रकार आवेदक के पास भारतीय उत्पादन का प्रमुख हिस्सा है।

8. आवेदकों ने संबद्ध वस्तु का अपने संबंधित पक्षकारों से ऐसी कीमतों पर आयात किया है जो चीन से अन्य आपूर्तिकर्ताओं की कीमतों से उच्चतर हैं। तथापि, यह देखा गया है कि ये कीमतें संबंधित पक्षकारों द्वारा अन्य देशों को किए गए निर्यात और अन्य गैर संबद्ध देशों की कीमतों के अनुसार हैं। आवेदक ने यह भी दावा किया है कि आयात होने का एक मात्र कारण यह तथ्य था कि किसी किस्म विशेष की मांग इतनी कम हो सकती है जो विशेष समय पर उत्पादन कार्यक्रम को बदलना न्यायोचित न ठहराती हो। किसी भी तरह आवेदक ने स्पष्ट किया है कि चीन में उनका संबंधित पक्षकार भारतीय बाजार में रूचि नहीं रखता है और वह अलग व्यवहार की मांग नहीं करेगा।
9. उक्त के मद्देनजर प्राधिकारी ने आवेदक घरेलू उत्पादक को एडीडी नियमावली 1995 के नियम 2(ख) के अंतर्गत यथा परिभाषित प्रथमदृष्ट्या घरेलू उद्योग माना है और यह आवेदन एडीडी नियमावली 1995 के नियम 5(3) की अपेक्षाओं को पूरा करता है।

घ. संबद्ध देश

10. आवेदन चीन जन. गण. और यूएसए के मूल की अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु के कथित पाटन के संबंध में दायर किया गया है। तथापि डीजीसीआई एंड एस के आयात आंकड़ों का विश्लेषण करते समय यह पाया गया था कि यूएसए से आयात न्यूनतम सीमा से कम थे और इसलिए वर्तमान जांच केवल चीन जन. गण. के विरुद्ध शुरू की गई है।

ड. जांच की अवधि

11. आवेदक ने जनवरी 2023 से दिसंबर 2023 के रूप में जांच अवधि का प्रस्ताव किया है। तथापि, प्राधिकारी ने इस अवधि को 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024 (12 महीने) तक अद्यतन किया है। क्षति जांच अवधि 1 अप्रैल 2020 - 31 मार्च 2021, 1 अप्रैल 2021 - 31 मार्च 2022, 1 अप्रैल 2022 - 31 मार्च 2023 और पीओआई तक की है।

च. चीन जन. गण. के लिए सामान्य मूल्य

12. आवेदकों ने दावा किया है कि चीन के एक्सेसन प्रोटोकॉल के अनुच्छेद 15(क)(i) और एडी नियमावली के अनुबंध-1 के पैरा 7 के अनुसार चीन के उत्पादकों के लिए सामान्य मूल्य चीन जन. गण. में प्रचलित लागत या घरेलू बिक्री कीमत के आधार पर केवल तभी निर्धारित किया जा सकता है। यदि चीन के प्रतिवादी उत्पादक यह दर्शाएं कि लागत और कीमत सूचना बाजार चालित सिद्धांतों पर आधारित है और एडी नियमावली के अनुबंध-1 के पैरा 1 से 6 के अनुसार उचित तुलना की अनुमति देती है, ऐसा नहीं करने पर चीन के उत्पादकों के लिए सामान्य मूल्य नियमावली के अनुबंध-1 के पैरा 7 और 8 के आधार पर निर्धारित करना चाहिए।
13. आवेदकों ने यह भी दावा किया है कि बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश में लागत या कीमत से संबंधित आंकड़े या अन्य वैकल्पिक पद्धतियों के साधन उपलब्ध नहीं हैं। इसलिए सामान्य मूल्य का परिकलन बिक्री, सामान्य और प्रशासनिक व्यय तथा तर्कसंगत लाभ के लिए विधिवत समायोजन के बाद सर्वोत्तम उपलब्ध सूचना के अनुसार संबद्ध वस्तु की घरेलू उद्योग की उत्पादन लागत के सर्वोत्तम अनुमानों के आधार पर किया है।

छ. निर्यात कीमत

14. आवेदक ने निर्यात कीमत के निर्धारण के लिए बाजार आसूचना के अनुसार सूचित सीआईएफ कीमत का दावा किया है। तथापि, प्राधिकारी ने जांच के प्रयोजनार्थ डीजी सिस्टम्स के आंकड़ों पर भरोसा किया है। मालभाड़ा लागत, समुद्री बीमा, कमीशन, बैंक प्रभार, पत्तन व्यय, अंतर्देशीय मालभाड़ा, लोडिंग और अनलोडिंग प्रभार के लिए कारखानाद्वारा निर्यात कीमत के निर्धारण हेतु समायोजनों का दावा किया गया है।

ज. पाटन मार्जिन

15. सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत की तुलना कारखानाद्वारा स्तर पर की गई है जो प्रथमदृष्ट्या सिद्ध करती है कि संबद्ध देश से विचाराधीन उत्पाद के संबंध में पाटन मार्जिन निर्धारित न्यूनतम सीमा से अधिक है और काफी अधिक है। इस प्रकार इस बात के पर्याप्त प्रथमदृष्ट्या साक्ष्य हैं कि संबद्ध देश से निर्यातकों द्वारा भारत के घरेलू बाजार में विचाराधीन उत्पाद का पाटन किया जा रहा है।

झ. क्षति और कारणात्मक संबंध

16. आवेदकों द्वारा प्रस्तुत सूचना पर घरेलू उद्योग को क्षति के आकलन के लिए विचार किया गया है। आवेदक ने समग्र तथा भारत में उत्पादन तथा खपत की तुलना की दृष्टि से पाटित आयातों की मात्रा में भारी वृद्धि, कीमत कटौती और घरेलू उद्योग पर कीमत ह्रासकारी और न्यूनकारी प्रभाव के रूप में कथित पाटन के परिणामस्वरूप क्षति संबंधी साक्ष्य प्रस्तुत किए हैं। संबद्ध देश से कीमत कटौती सकारात्मक है। पाटित आयातों के कारण हुए कीमत ह्रास और न्यूनीकरण की वजह से आवेदक लागत में बदलाव के अनुसार अपनी कीमत में बदलाव नहीं कर सका। यह दावा किया गया है कि संबद्ध देशों से पाटित आयातों के कारण आवेदक की लाभप्रदता बुरी तरह प्रभावित हुई है। इस बात के प्रथमदृष्ट्या साक्ष्य हैं कि संबद्ध देश से पाटित आयातों के कारण वास्तविक क्षति हो रही है, जो पाटनरोधी जांच की शुरुआत को न्यायोचित ठहराती है।

ञ. जांच की शुरुआत

17. आवेदक द्वारा प्रस्तुत विधिवत रूप से साक्ष्यांकित लिखित आवेदन के आधार पर और संबद्ध देश की मूल की अथवा वहां से निर्यातित विचाराधीन उत्पाद के पाटन, संबद्ध वस्तु के कथित पाटन के परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग को परिणामी क्षति और ऐसी क्षति तथा पाटित आयातों के बीच कारणात्मक संबंध के बारे में आवेदक द्वारा प्रस्तुत प्रथमदृष्ट्या साक्ष्य के आधार पर संतुष्ट होने के बाद और एडी नियमावली के नियम 5 के साथ पठित अधिनियम की धारा 9क के अनुसार प्राधिकारी एतद्वारा संबद्ध देश के मूल की अथवा वहां से निर्यातित विचाराधीन उत्पाद के संबंध में पाटन की मौजूदगी मात्रा और प्रभाव को निर्धारित करने तथा पाटनरोधी शुल्क की ऐसी उचित राशि की सिफारिश करने जिसे यदि लगाया जाए तो वह घरेलू उद्योग को हुई क्षति को समाप्त करने के लिए पर्याप्त होगी, एतद्वारा पाटनरोधी जांच की शुरुआत करते हैं।

ट. सूचना प्रस्तुत करना

18. निर्दिष्ट प्राधिकारी को समस्त पत्र ई-मेल पतों dd15-dgtr@gov.in और dd19-dgtr@gov.in जिसकी एक प्रति adv11-dgtr@gov.in और adv12-dgtr@gov.in पर ई-मेल के माध्यम से भेजी जानी चाहिए। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि अनुरोध का वर्णनात्मक हिस्सा पीडीएफ/एमएस वर्ल्ड फॉर्मेट में और आंकड़ों की फाइल एम एस एक्सल फॉर्मेट में खोजे जाने योग्य हो।
19. संबद्ध देशों में ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों, भारत में उसके दूतावास के जरिए संबद्ध देश की सरकार और भारत में संबद्ध वस्तु से संबंधित समझे जाने वाले आयातकों और प्रयोक्ताओं को इस जांच शुरूआत अधिसूचना में उल्लिखित समय सीमा के भीतर समस्त संगत सूचना प्रस्तुत करने के लिए अलग से सूचित किया जा रहा है। ऐसी समस्त सूचना इस जांच शुरूआत अधिसूचना, नियमावली और प्राधिकारी द्वारा जारी लागू व्यापार सूचनाओं में यथा विहित प्रपत्र और ढंग से प्रस्तुत की जानी चाहिए।
20. कोई अन्य हितबद्ध पक्षकार भी इस जांच शुरूआत अधिसूचना में, नियमावली और प्राधिकारी द्वारा जारी लागू व्यापार सूचनाओं द्वारा यथा विहित ढंग और तरीके से जांच शुरूआत अधिसूचना में उल्लिखित समय सीमा के भीतर वर्तमान जांच से संगत अपने अनुरोध प्रस्तुत कर सकता है।
21. प्राधिकारी के समक्ष कोई गोपनीय अनुरोध करने वाले किसी पक्षकार को अन्य हितबद्ध पक्षकारों को उपलब्ध कराने के लिए उसका अगोपनीय अंश प्रस्तुत करना अपेक्षित है।
22. हितबद्ध पक्षकारों को आगे यह निर्देश दिया जाता है कि इस जांच से संबंधित किसी अद्यतन सूचना और आगे की कार्यवाई से अवगत रहने के लिए वे व्यापार उपचार महानिदेशालय की आधिकारिक वेबसाइट (<https://www.dgtr.gov.in/>) को नियमित रूप से देखते रहें।

ठ. समय सीमा

23. वर्तमान जांच से संबंधित कोई सूचना निर्दिष्ट प्राधिकारी को नियमावली के नियम 6(4) के अनुसार उस तारीख से जब घरेलू उद्योग द्वारा दायर आवेदन के अगोपनीय अंश को निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा परिचालित या निर्यातक देशों के उचित राजनयिक प्रतिनिधि को हस्तांतरित किया जाएगा, से 30 दिनों के भीतर ई-मेल पतों dd15-dgtr@gov.in और dd19-dgtr@gov.in जिसकी एक प्रति adv11-dgtr@gov.in और adv12-dgtr@gov.in पर प्राधिकारी को ई-मेल के माध्यम से भेजी जानी चाहिए। यदि विहित समय सीमा के भीतर कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है या प्राप्त सूचना अधूरी होती है तो प्राधिकारी नियमावली के अनुसार रिकॉर्ड में उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं।
24. सभी हितबद्ध पक्षकारों को एतद्वारा सलाह दी जाती है कि वे वर्तमान मामले में अपने हित (हित के स्वरूप सहित) की सूचना दें और इस अधिसूचना में यथा निर्धारित उक्त समय सीमा के भीतर प्रश्नावली का अपना उत्तर प्रस्तुत करें।
25. जहां कोई हितबद्ध पक्षकार अनुरोध प्रस्तुत करने के लिए अतिरिक्त समय मांगता है वहां उसे एडीडी नियमावली 1995 के नियम 6(4) के अनुसार समय बढ़ाने का पर्याप्त कारण बताना होगा और वह अनुरोध इस अधिसूचना में निर्धारित समयावधि के भीतर किया जाना चाहिए।

ड. गोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करना

26. प्राधिकारी के समक्ष कोई गोपनीय अनुरोध करने या गोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करने वाले वर्तमान जांच के किसी पक्षकार को एडीडी नियमावली के नियम 7 के अनुसार और इस संबंध में प्राधिकारी द्वारा जारी संगत व्यापार सूचनाओं के अनुसार ऐसी सूचना का अगोपनीय अंश भी साथ में प्रस्तुत करना अपेक्षित है।
27. ऐसे अनुरोधों पर स्पष्ट रूप से प्रत्येक पृष्ठ पर "गोपनीय" या "अगोपनीय" अंकित होना चाहिए। ऐसे अंकन के बिना प्राधिकारी से किए गए किसी अनुरोध को प्राधिकारी द्वारा अगोपनीय सूचना माना जाएगा और प्राधिकारी अन्य हितबद्ध पक्षकारों को ऐसे अनुरोध का निरीक्षण करने की अनुमति देने के लिए स्वतंत्र होंगे।
28. गोपनीय अंश में ऐसी समस्त सूचना शामिल होगी जो स्वाभाविक रूप से गोपनीय है और/या ऐसी कोई अन्य सूचना जिसके प्रदाता द्वारा ऐसी सूचना के गोपनीय होने का दावा किया गया है। ऐसी सूचना जिसके स्वाभाविक रूप से गोपनीय होने का दावा किया गया है या वह सूचना जिसके अन्य कारणों से गोपनीय होने का दावा किया गया है, के मामले में उस सूचना के प्रदाता के लिए प्रदत्त सूचना के साथ उसके कारणों का एक विवरण प्रस्तुत करना अपेक्षित है कि ऐसी सूचना का प्रकटन क्यों नहीं किया जा सकता है।
29. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत सूचना का अगोपनीय अंश उस सूचना जिसके बारे में गोपनीयता का दावा किया गया है, पर निर्भर रहते हुए अधिमानतः सूचीबद्ध या रिक्त छोड़ी गई (जहां सूचीबद्ध करना संभव न हो) या सारांशीकृत गोपनीय सूचना के साथ गोपनीय अंश का उचित और पर्याप्त अनुकृति होना अपेक्षित है।
30. अगोपनीय सारांश पर्याप्त विस्तृत होना चाहिए जिससे गोपनीय आधार पर प्रस्तुत की गई सूचना की विषय वस्तु को तर्कसंगत ढंग से समझा जा सके। तथापि, आपवादिक परिस्थितियों में गोपनीय सूचना प्रस्तुत करने वाले पक्षकार को यह दर्शाना होगा कि ऐसी सूचना का सारांश नहीं हो सकता है और प्राधिकारी की संतुष्टि के अनुसार, नियमावली 1995 के नियम 8 और प्राधिकारी द्वारा जारी उचित व्यापार सूचनाओं के अनुसार पर्याप्त और पूर्ण स्पष्टीकरण का विवरण प्रस्तुत करना होगा कि ऐसा सारांश क्यों संभव नहीं है।
31. हितबद्ध पक्षकार इस जांच शुरूआत अधिसूचना के पैरा 24 में यथा इंगित प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत दस्तावेजों के अगोपनीय अंश के परिचालन की तारीख से 7 दिनों के भीतर घरेलू उद्योग द्वारा दावा की गई गोपनीयता के मुद्दे पर अपनी टिप्पणियां प्रस्तुत कर सकते हैं।
32. सार्थक अगोपनीय अंश के बिना या नियमावली के नियम 8 और प्राधिकारी द्वारा जारी उचित व्यापार सूचनाओं के अनुसार गोपनीयता के दावे के पर्याप्त और उचित कारण के बिना किए गए किसी अनुरोध को प्राधिकारी द्वारा रिकार्ड में नहीं लिया जाएगा।
33. प्रस्तुत सूचना के स्वरूप की जांच करने पर गोपनीयता के अनुरोध को प्राधिकारी स्वीकार या अस्वीकार कर सकते हैं। यदि प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट हैं कि गोपनीयता का अनुरोध अपेक्षित नहीं है या यदि सूचना प्रदाता सामान्य अथवा सारांश रूप में सूचना को सार्वजनिक करने या उसके प्रकटन को प्राधिकृत करने का अनिच्छुक है तो वे ऐसी सूचना की अनदेखी कर सकते हैं।

34. प्राधिकारी प्रदत्त सूचना की गोपनीयता की आवश्यकता से संतुष्ट होने और उसे स्वीकार करने के बाद ऐसी सूचना को देने वाले पक्षकार के स्पष्ट प्राधिकार के बिना किसी पक्षकार को उसका प्रकटन नहीं करेंगे।
35. पंजीकृत हितबद्ध पक्षकारों की एक सूची उन सभी से इस अनुरोध के साथ डी जी टी आर की वैबसाइट पर अपलोड की जाएगी कि वे ई-मेल के माध्यम से सभी अन्य हितबद्ध पक्षकारों को अपने अनुरोध और अन्य सूचना का अगोपनीय अंश ई मेल के जरिए भेज दें।
- ढ. असहयोग

36. यदि कोई हितबद्ध पक्षकार तर्कसंगत अवधि के भीतर या इस जांच शुरूआत अधिसूचना में प्राधिकारी द्वारा निर्धारित समय सीमा के भीतर या उसके बाद किसी पत्र के जरिए प्रदत्त समयावधि के भीतर आवश्यक सूचना देने से मना करता है या अन्यथा उसे उपलब्ध नहीं कराता है या जांच में अत्यधिक बाधा डालता है तो प्राधिकारी ऐसे हितबद्ध पक्षकार को असहयोगी घोषित कर सकते हैं और उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं तथा केन्द्र सरकार को यथोचित सिफारिशें कर सकते हैं।

दर्पण जैन, निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY
(Department of Commerce)
(DIRECTORATE GENERAL OF TRADE REMEDIES)
INITIATION NOTIFICATION
New Delhi, the 30 th September, 2024
Case No. AD(OI)-11/2024

Subject: Initiation of anti-dumping investigation concerning imports of “Siloxane Polyoxyalkylene Copolymers having viscosity upto 2500cst” originating in or exported from China PR

F. No. 6/13/2024-DGTR.—(1) M/s Momeptive Performance Material (India) Pvt. Limited (hereinafter referred to as the “applicant”), has filed an application before the Designated Authority (hereinafter referred to as the ‘Authority’), on behalf of domestic industry, in accordance with the Customs Tariff Act, 1975 as amended from time to time (hereinafter referred as the ‘Act’) and the Customs Tariff (Identification, Assessment, and Collection of Anti-Dumping Duty on dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, as amended from time to time (hereinafter referred to as the ‘Rules’), seeking initiation of anti-dumping duty investigation by alleging dumping of “Siloxane Polyoxyalkylene Copolymers having viscosity upto 2500cst” (hereinafter referred to as the ‘subject goods’ or the ‘product under consideration ‘or the ‘PUC’), originating in or exported from China PR (hereinafter referred to as the ‘subject country’).

A. Product under Consideration

2. The product under consideration in the present investigation is “Siloxane Polyoxyalkylene Copolymers having viscosity upto 2500 cst”
3. Momentive has designed a full range of high performing standard, universal, and specialty silicones to produce flexible polyurethane slab stock and RMS foam, that allows foam producers to tailor solutions to customers, and to offer a broad variety of foam grades. The silicone backbone has an affinity for hydrophobic / non-polar materials and the polyether pendants are drawn towards more hydrophilic / polar materials.
4. The subject goods are used for slab, molded, rigid foam applications. They are also used in end applications such as bedding and furniture, insulation material, automotive and speciality foams.
5. Product under consideration is used for printing. The subject goods are classified under chapter 3402 and 3910. The custom classification is indicative only and in no way, it is binding upon the product scope.

B. Like Article

6. The applicant has stated that there are no significant differences in the article produced by the applicant and exported from the subject country. The article produced by the applicant and imported from China are comparable in terms of physical and chemical characteristics, manufacturing process and technology, functions and uses, product specifications, pricing, distribution and marketing, and tariff classification of the subject goods. The subject goods and the article manufactured by the applicant are technically and commercially substitutable. The applicant has claimed that consumers of the PUC are using the subject goods and the article manufactured by the applicant interchangeably. Thus, for the purposes of initiation of the present investigation, the product produced by the applicant has been prima facie considered as like article to the product being imported from China PR.

C. Domestic Industry & Standing

7. The application has been filed by M/s Momentive Performance Material (India) Pvt. They are the only producer of the subject goods. Thus, the applicant accounts for a major proportion of the Indian production.
8. The applicants have imported the subject goods from their related parties at prices which are higher than the prices of other suppliers from China. It is, however, seen, that these prices are line with the exports made by the related party to other country and the prices of other non-subject country. It is further claimed by the applicant that the only reason for imports was the fact that the

demand of the particular variant may have been very small not justifying a shift in the production schedule at a particular point of time. In any case, the applicant clarified that their related party in China has no interest in the Indian market and shall not be seeking individual treatment.

9. In view of the above, the Authority has prima facie considered applicant domestic producer as domestic industry as defined under Rule 2(b) of the ADD Rules, 1995 and the application satisfies the requirements of Rule 5(3) of the ADD Rules, 1995.

D. Subject Country

10. The application has been filed in respect of alleged dumping of the subject goods originating in or exported from China PR and USA. However, while analyzing the DG Systems import data, it was found that imports from USA were *de-minimus* and therefore, the present investigation is initiated against China PR only.

E. Period of Investigation

11. The applicant has proposed period of investigation as January 2023 to December 2023. However, the Authority has updated the period as 1st April 2023 to 31st March 2024 (12 months). The injury examination period is from 1st April 2020 - 31st March 2021, 1st April 2021 - 31st March 2022, 1st April 2022 - 31st March 2023 and the POI.

F. Normal Value for China PR

12. The applicant has claimed that in terms of Article 15(a)(i) of China's Accession Protocol and Para 7 of the Annexure-I to the AD Rules, the normal value for Chinese producers may be determined based on the cost or domestic selling price prevailing in China PR, only if the responding Chinese producers demonstrate that their cost and price information are based on market-driven principles and allow for fair comparison in terms of paras 1 to 6 of Annexure-I to the ADD Rules, failing which, normal value for the Chinese producers must be determined based on paras 7 and 8 of Annexure-I to the Rules.
13. The applicant has also claimed that the data relating to cost or price in a market economy third country or recourse to other alternative methods is not available. The normal value has been, thereby, constructed based on the best estimates of the cost of the production of the domestic industry of the subject goods as per the best information available after duly adjusting the selling, general and administrative expenses with reasonable profits.

G. Export Price

14. The applicant has claimed the CIF price reported as per market intelligence for the determination of export price. However, the Authority for the purpose of the investigation has relied upon the DG Systems data. Adjustments on account of freight cost, marine insurance, commission, bank charges, port expenses, inland freight, loading and unloading charges have been made to determine the ex-factory export price.

H. Dumping Margin

15. The normal value and the export price have been compared at the ex-factory level, which *prima facie* establishes that the dumping margin is above the de minimis level and is significant with respect to the product under consideration from the subject country. Thus, there is sufficient *prima facie* evidence that the product under consideration from the subject country is being dumped in the domestic market of India by the exporters from the subject country.

I. Injury And Causal Link

16. Information furnished by the applicant has been considered for assessment of injury to the domestic industry. The applicant has furnished evidence regarding the injury as a result of the alleged dumping in the form of increase in volume of dumped imports in absolute as well as in relative terms in comparison to the production and consumption in India, price undercutting and price depressing and suppressing effect on the domestic industry. The price undercutting from the subject country is positive. The price suppression and depression caused by dumped imports have been preventing the applicant from moving its prices in line with changes in cost. It has been claimed that because of the dumped imports from the subject country, the profitability of the applicant has been significantly impacted. There is sufficient *prima facie* evidence of material injury being caused due to dumped imports from the subject country to justify the initiation of the anti-dumping investigation.

J. Initiation of the Investigation

17. On the basis of the duly substantiated written application submitted by the applicant and having reached satisfaction based on the *prima facie* evidence submitted by the applicant concerning the dumping of the product under consideration originating in or exported from the subject country, the consequential injury to the domestic industry as a result of the alleged dumping of the subject goods and the causal link between such injury and the dumped imports, and in accordance with Section 9A of the Act read with Rule 5 of the AD Rules, the Authority, hereby, initiates an anti-dumping investigation to determine the existence, degree and effect of the dumping with respect to the

product under consideration originating in or exported from the subject country and to recommend the appropriate amount of anti-dumping duty, which if levied, would be adequate to remove the injury to the domestic industry.

K. Submission of Information

18. All communication should be sent to the Designated Authority via email at email addresses dd15-dgtr@gov.in and dd19-dgtr@gov.in with a copy to adv11-dgtr@gov.in and adv12-dgtr@gov.in. It must be ensured that the narrative part of the submission is in searchable PDF/MS-Word format and data files are in MS-Excel format.
19. The known producers/exporters in the subject country, the Government of the subject country through its Embassy in India, and the importers and users in India who are known to be associated with the subject goods are being informed separately to enable them to file all the relevant information within the time limits mentioned in this initiation notification. All such information must be filed in the form and manner as prescribed by this initiation notification, the Rules, and the applicable trade notices issued by the Authority.
20. Any other interested party may also make a submission relevant to the present investigation in the form and manner as prescribed by this initiation notification, the Rules, and the applicable trade notices issued by the Authority within the time limits mentioned in this initiation notification.
21. Any party making any confidential submission before the Authority is required to make a non-confidential version of the same available to the other interested parties.
22. Interested parties are further directed to regularly visit the official website of the Directorate General of Trade Remedies (<https://www.dgtr.gov.in/>) to stay updated and apprised with the information as well as further processes related to the investigation.

L. Time Limit

23. Any information relating to the present investigation should be sent to the Designated Authority via email at email address dd15-dgtr@gov.in and dd19-dgtr@gov.in with a copy to adv11-dgtr@gov.in and adv12-dgtr@gov.in within 30 days from the date on which the non-confidential version of the application filed by the domestic industry would be circulated by the Designated Authority or transmitted to the appropriate diplomatic representative of the exporting country as per Rule 6(4) of the ADD Rules. If no information is received within the stipulated time limit or the information received is incomplete, the

Authority may record its findings based on the facts available on record and in accordance with the Rules.

24. All the interested parties are hereby advised to intimate their interest (including the nature of interest) in the instant matter and file their questionnaire responses within the above time limit as stipulated in this notification.
25. Where an interested party seeks additional time for filing of submissions, it must demonstrate sufficient cause for such extension in terms of Rule 6(4) of the ADD Rules, 1995 and such request must come within the time stipulated in this notification.

M. Submission of Information on Confidential Basis

26. Where any party to the present investigation makes confidential submissions or provides information on a confidential basis before the Authority, such party is required to simultaneously submit a non-confidential version of such information in terms of Rule 7 of the ADD Rules and in accordance with the relevant trade notices issued by the Authority in this regard.
27. Such submissions must be clearly marked as “confidential” or “non-confidential” at the top of each page. Any submission that has been made to the Authority without such markings shall be treated as “non-confidential” information by the Authority, and the Authority shall be at liberty to allow other interested parties to inspect such submissions.
28. The confidential version shall contain all information which is, by nature, confidential, and/or other information, which the supplier of such information claims as confidential. For the information which is claimed to be confidential by nature, or the information on which confidentiality is claimed because of other reasons, the supplier of the information is required to provide a good cause statement along with the supplied information as to why such information cannot be disclosed.
29. The non-confidential version of the information filed by the interested parties should be a replica of the confidential version with the confidential information preferably indexed or blanked out (where indexation is not possible) and such information must be appropriately and adequately summarized depending upon the information on which confidentiality is claimed.
30. The non-confidential summary must be insufficient detail to permit a reasonable understanding of the substance of the information furnished on a confidential basis. However, in exceptional circumstances, the party submitting the confidential information may indicate that such information is not susceptible to summary, and a statement of reasons containing a sufficient and

- adequate explanation in terms of Rule 8 of the Rules, 1995, and appropriate trade notices issued by the Authority, as to why such summarization is not possible, must be provided to the satisfaction of the Authority.
31. The interested parties can offer their comments on the issues of confidentiality claimed by the domestic industry within 7 days from the date of circulation of the non-confidential version of the documents filed before the Authority as indicated in paragraph 24 of this initiation notification.
32. Any submission made without a meaningful non-confidential version thereof or a sufficient and adequate cause statement in terms of Rule 8 of the Rules, and appropriate trade notices issued by the Authority, on the confidentiality claim shall not be taken on record by the Authority.
33. The Authority may accept or reject the request for confidentiality on examination of the nature of the information submitted. If the Authority is satisfied that the request for confidentiality is warranted or if the supplier of the information is either unwilling to make the information public or to authorize its disclosure in generalized or summary form, it may disregard such information.
34. The Authority on being satisfied and accepting the need for confidentiality of the information provided, shall not disclose it to any party without specific authorization of the party providing such information.
35. A list of registered interested parties will be uploaded on the DGTR's website along with the request therein to all of them to email the non-confidential version of their submissions and other information to all other interested parties.

N. Non-Cooperation

36. In case any interested party refuses access to and otherwise does not provide necessary information within a reasonable period or within the time stipulated by the Authority in this initiation notification or subsequently time period provided through separate communication, or significantly impedes the investigation, the Authority may declare such interested party as non-cooperative and record its findings based on the facts available and make such recommendations to the Central Government as it deems fit.

DARPAN JAIN, Designated Authority